

भारतीय संसद
राज्य सभा सचिवालय

221, संसदीय सौध
नई दिल्ली-110001

दिनांक 9 अप्रैल, 2018

कार्यालय आदेश भाग -1 सं. 5/2018-स्था.(सा.)

विषय : भारतीय पासपोर्ट हासिल करने के लिए पहचान पत्र/अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन।

महासचिव यह आदेश जारी करते हैं कि 9 अप्रैल, 2018 से अगले आदेश तक राज्य सभा सचिवालय के कर्मचारियों द्वारा भारतीय पासपोर्ट हासिल करने के उद्देश्य से पहचान पत्र (आईसी)/ अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) के निर्गमन को अनुमोदन प्रदान करने के लिए सचिव सक्षम प्राधिकारी होंगे।

2. तथापि, किसी भी कर्मचारी को तब तक भारतीय पासपोर्ट हासिल करने के लिए आईसी/एनओसी प्रदान करने से मना नहीं किया जायेगा जब तक इस प्रयोजनार्थ महासचिव से अनुमति न ले ली जाए।

ह°/-
(बी. एम. एस. राणा)
अपर निदेशक

सेवा में

- 1) महासचिव का कार्यालय
- 2) सचिव का कार्यालय
- 3) सभी अधिकारी/ अनुभाग/ निजी सचिव/ वैयक्तिक सहायक और वेतन एवं लेखा कार्यालय, राज्य सभा (केवल इन्टरनेट द्वारा)